

पडत रिटेल ऑफ कम्पोजिट मदिरा दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1) वित्त/आब/2023 दिनांक 22.01.2023 के द्वारा जारी संशोधित आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के तहत वर्ष 2023-24 के लिये पडत रिटेल ऑफ कम्पोजिट मदिरा दुकानों के ई-नीलामी (ई-बोली) प्रक्रिया से बढोबस्त करने हेतु भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	05 अक्टूबर, 2023	प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक

- देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध रहेगा।
- नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश <https://excise.rajasthan.gov.in> व <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है तथा एमएसटीसी हैल्प डेस्क पर भी कार्यालय समय में मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
- ई-नीलामी के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 एवं दिनांक 22.01.2023 के द्वारा नीति में किये गये संशोधन अनुसार तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।
- नीलामी की अन्य शर्तें पूर्वानुसार रहेगी।

(ओम कसेरा)

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

